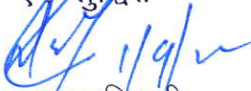
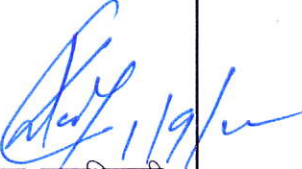


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
01-09-22	आदेश पी०ए० वाद संख्या-64/2007-08 में दिनांक-26.05.2008 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक-लुलीन टुडू पिता-स्व० बुधन टुडू को मौजा-पारनगरिया का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध लुखीन्दर टुडू द्वारा उपायुक्त, देवघर के न्यायालय में राजस्व विविध अपील सं०-38/2009-10 दायर किया गया। उक्त अपीलवाद में उपायुक्त देवघर द्वारा दिनांक-13.02.2018 को पारित आदेश में इस न्यायालय के पी०ए० वाद संख्या-64/2007-08 में दिनांक-26.05.2008 को पारित आदेश को रद्द करते हुए, संबंधित मामलों में तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु पुनर्प्रेषित किया गया है। उपायुक्त, देवघर द्वारा दिनांक-13.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या-199/2007-08, आवेदक-लुखीन्दर टुडू पिता-स्व० बुधन टुडू एवं 64/2007-08 आवेदक-लुलीन टुडू पिता-स्व० बुधन टुडू साकिन-पारनगरिया, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-पारनगरिया, थाना नं०-348 का प्रधान नियुक्ति अभिलेख सम्बद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, पालोजोरी से ज्ञापांक-55/डी०बी० दिनांक-28.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-587/रा०, दिनांक-12.12.2020 एवं पत्रांक-13/रा०, दिनांक-10.01.2022 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-पारनगरिया, थाना नं०-348 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान बुधन टुडू थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र बलदेव टुडू एवं पौत्र भीम टुडू की मृत्यु हो चुकी है। अंतिम प्रधान के द्वितीय पुत्र लुखीन्दर टुडू एवं तृतीय पुत्र लुलीन टुडू आवेदक है। मौजा में जमाबंदी रैयतों की कुल संख्या-23 है एवं वार्षिक लगान-117.00 (एक सौ सतरह) रुपये अलावे सेस है। अतः अंचल अधिकारी, पालोजोरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार अंतिम प्रधान स्व० बुधन टुडू के द्वितीय पुत्र लुखीन्दर टुडू साकिन-पारनगरिया, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत के आधार पर मौजा-पारनगरिया, थाना नं०-348 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालोजोरी को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	शापोक 155 SL 01/09/22

27.9.22 आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि
धारिवल किया गया। पक्ष निर्णय करें।

27/9/22
अनुमंडल पदाधिकारी
मकुपुर।

44/1/24
44/1/24
44/1/24
44/1/24